रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 7—सितम्बर 13, 2013 (भाद्रपद 16, 1935)

No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 7—SEPTEMBER 13, 2013 (BHADRA 16, 1935)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.	533
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	833
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	1
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	1157
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	703
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.	3725
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.	893
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	533
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	833
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	1
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1157
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	703
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	3725
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	893
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 24 जुलाई 2013
संकल्प

विषय : राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के कतिपय मानदंडों का संशोधन और आरएमएसए के तहत् माध्यमिक शिक्षा की अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का सम्मिलन।

सं. 1-15/2010-स्कूल-1--भारत सरकार ने विधिवत् विचार-विमर्श के पश्चात् (2009-10 से कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित योजना, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के तहत् 01.04.2013 से आरएमएसए के निम्नलिखित संशोधित मानदंड अनुमोदित किए हैं :--

(i) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को आरएमएसए के तहत् अनुज्ञेय सिविल कार्यों के निर्माण हेतु राज्य दर अनुसूची अथवा के.लो.नि.वि. की दर (जो भी कम हो) का प्रयोग करने की अनुमति देना।

(ii) कार्यक्रम के तहत् प्रबंधन, निगरानी, मूल्यांकन और अनुसंधान (एमएमईआर) को कुल परिव्यय के 2.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत करना जिसमें 4 प्रतिशत सार्वजनिक में से 0.5 प्रतिशत राष्ट्रीय स्तर हेतु और शेष 3.5 प्रतिशत राज्य आवंटन के अंश के रूप में होगा। उन राज्यों के मामले में जहां 3.5 प्रतिशत एमएमईआर का बढ़ा हुआ आवंटन भी पर्याप्त नहीं है और इस शीर्ष के तहत् कार्यकलापों में बाधा बन सकता है, समग्र राज्य एमएमईआर संघटक के 3.5 प्रतिशत के भीतर, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य भिन्नताएं किसी विशेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में परिव्यय के अधिकतम 5 प्रतिशत के अध्यधीन परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जा सकती हैं।

(iii) माध्यमिक शिक्षा की अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं--स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, महिला छात्रावास, माध्यमिक स्तर पर नि:शक्तों हेतु समावेशी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, को उनके मौजूदा स्वरूप में आरएमएसए की छत्रछाया में लेना।

(iv) सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए आरएमएसए अम्ब्रेला योजना संघटकों के अनुसार गुणवत्ता हस्तक्षेपों के लिए आरएमएसए के लाभ (अवसंरचना सहयोग/मूल क्षेत्र अर्थात् अध्यापक वेतन तथा स्टॉफ वेतन को छोड़कर) सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों तक बढ़ाना।

(v) भारत सरकार ने 12वीं योजना की शेष अवधि के लिए निधि हिस्सेदारी की मौजूदा पद्धति गैर-पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 75:25 और पूर्वोत्तर राज्यों (सिक्किम सहित) के लिए 90:10 जारी रखने का अनुमोदन किया है।

(vi) माध्यमिक शिक्षा की चारों सम्मिलित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को शामिल करते हुए आरएमएसए की अम्ब्रेला स्कीम की एकीकृत योजना के अनुमोदन पर विचार करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आरएमएसए परियोजना अनुमोदन बोर्ड को प्राधिकृत करना।

(vii) आरएमएसए अम्ब्रेला स्कीम के सभी संघटकों हेतु निधियां जारी करने के लिए आरएमएसए राज्य कार्यान्वयन सोसाइटी को सीधे तौर पर प्राधिकृत करना।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के राष्ट्रीय मिशन के सभी सदस्यों, आरएमएसए और सम्मिलित योजनाओं के परियोजना अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों को प्रेषित की जाए।

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को प्रेषित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प भारत के राजपत्र में सार्वजनिक सूचना हेतु प्रकाशित किया जाए।

राधा चौहान
संयुक्त सचिव

संस्कृति मंत्रालय
नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 2013
संकल्प

सं. 33-1/06-सीडीएन--इस मंत्रालय की तारीख 06.05.2013 के समसंख्यक संकल्प के अनुक्रम में, संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों से विचारों और अभिरूचियों के विविध सूक्ष्म भेदों के प्रति समेकित दृष्टिकोण अपनाते हुए निर्णय लेने की सहभागी प्रक्रिया विकसित करने के लिए केन्द्रीय संस्कृति सलाहकार बोर्ड गठित किया गया था। सरकार ने 10 गैर-सरकारी सदस्यों के अलावा केन्द्रीय संस्कृति सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को और नामित किया है :--

1. सुश्री नफीसा अली,
डी-237, डिफेन्स कॉलोनी,
नई दिल्ली।
2. सुश्री शालू जिंदल
मोहन नगर
पिपली रोड़,
कुरूक्षेत्र (हरियाणा)
3. श्री एस. के. मिश्रा,
सी-56, निजामुद्दीन ईस्ट,
नई दिल्ली-13
4. श्री राम किशन मोतीलाल ओझा,
प्रभा सदन, 17
गिरीपेठ, नागपुर (महाराष्ट्र)
5. श्री निरंजन कुमार अग्रवाल,
पी-337, ब्लॉक ए, लेक टाऊन,
कोलकाता-700089

निम्नलिखित सदस्यों के नामांकन हेतु निबंधन और शर्तें तारीख 06.05.2013 के संकल्प के अनुरूप होंगी।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सर्वसाधारण की जानकारी हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति इस कार्यालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन/संस्कृति मंत्रालय के सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों एवं स्वायत्त संगठनों को सूचनार्थ प्रेषित की जाए।

अरविंद मंजीत सिंह
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY)

New Delhi, the 24th July 2013

RESOLUTION

Subject:— Revision of certain norms of Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) and subsuming of other Centrally Sponsored Schemes of Secondary Education under RMSA.

No. 1-15/2010-Sch.1—Under the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA), a Centrally Sponsored Scheme being implemented since 2009-10, the Government of India after due consideration approved the following revised norms of RMSA, with effect from 1.4.2013:

(i) to permit State/UT Governments to use State Schedule of Rates (SSOR) or CPWD Rate, (whichever is lower) for construction of civil works permissible under the RMSA .

(ii) to increase the Management, Monitoring Evaluation and Research (MMER) from 2.2 percent to 4 percent of the total outlay under the programme, with 0.5 percent of the 4 percent communal for national level and the rest of the 3.5 percent as part of the State allocation. In cases of States where even with this enhanced allocation of 3.5% MMER would not be adequate and would hamper the activities under the head, within the 3.5% of the overall State MMER component; variations across States/UTs can be approved by the PAB, subject to a maximum of 5% of the outlay in any particular State/UT.

(iii) to subsume the other Centrally Sponsored Schemes of Secondary Education—Information and Communication Technology (ICT) @ School, Girls Hostel, Inclusive Education for Disabled at Secondary Stage (IEDSS) and Vocational Education (VE) in their existing form under the umbrella of RMSA .

(iv) to extend the benefits of RMSA to aided Secondary Schools (excluding infrastructure support / core areas, i.e. Teacher's salary and staff salary) for quality interventions as per RMSA umbrella schemes components for aided schools.

(v) The Government of India approved the continuation of existing fund sharing pattern of 75:25 for the remaining of the 12th plan the period for non-NER States and 90:10 for NER States (including Sikkim).

(vi) to authorize the RMSA Project Approval Board (PAB) of the Ministry of Human Resource Development to consider for approval an Integrated Plan of the umbrella scheme of RMSA, including the four subsumed Centrally Sponsored Schemes of Secondary Education.

(vii) to authorize the release of funds to the RMSA State Implementation Society directly for all components of the RMSA umbrella scheme.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all members of the National Mission of Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA), Members of Project Approval Boards (PABs) of RMSA and subsumed schemes.

ORDERED that a copy of this Resolution be sent to all Ministries and Department of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RADHA CHAUHAN
Jt. Secy.

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 30th July 2013

RESOLUTION

No. 33-1/06-CDN—In continuation to the Ministry's Resolution of even number dated 06.05.2013 constituting therein a Central Advisory Board on Culture to evolve a participative process of decision-making by taking an integrated view of the various shades of ideas and interests from different domains of culture, Government hereby further nominate the following persons as members to the Central Advisory Board on Culture in addition to 10 non-official members.

1. Ms. Nafisa Ali
D-237, Defence Colony
New Delhi.
2. Ms. Shallu Jindal
Jindal House,
Mohan Nagar
Pipli Road, Kurukshetra (Haryana).
3. Sh. S. K. Misra
C-56, Nizamuddin East
New Delhi-13.
4. Sh. Ramkishan Motilal Ojha
Prabha Sadan 17, Giripeth
Nagpur (Maharashtra).
5. Sh. Niranjan Kumar Agarwal
P-337, Block A, Lake Town,
Kolkata-700089.

Terms and conditions for the nomination of the following members will be as per the resolution dated 06.05.2013.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Also Ordered that a copy of the Resolution be forwarded to this office and to all Ministries/Department of Government of India, all State Governments/Union Territories Administration, All Attached/Subordinate Offices & Autonomous Organizations of Ministry of Culture for Information.

ARVIND MANJIT SINGH
Jt. Secy.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2013

PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2013

www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART I—SEC.1]—120 Copies.